

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR ORGANIC WORLD PRIVATE LIMITED (UNDER CIRP) OPERATING IN FOOD AND BEVERAGES INDUSTRY AT INDORE

(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

S.No.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	Organic World Private Limited CIN No: U01114MP2020PTC051205 PAN: AADCO1468J
2.	Address of the registered office	211, Milinda Manor, 2 RNT Marg, Indore Tukoganj, Indore, Indore, Madhya Pradesh, India, 452001
3.	URL of website	Not Available
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Indore, Madhya Pradesh
5.	Installed capacity of main products/ services	NIL
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	NIL
7.	Number of employees/ workmen	NIL as on Insolvency Commencement Date
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	The details can be obtained by requesting on email: cirp.organicworld@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	The details can be obtained by requesting on email: cirp.organicworld@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	October 19, 2026
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	October 29, 2026
12.	Last date for submission of objections to provisional list	November 03, 2026
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	November 13, 2026
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	November 18, 2026
15.	Last date for submission of resolution plans	December 18, 2026
16.	Process email id to submit Expression of Interest	cirp.organicworld@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	The Corporate Debtor is an MSME

For Organic World Private Limited

Prakul Thadi

Interim Resolution Professional of Organic World Private Limited
IBBI Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N01149/2021-2022/13806
AFA validity: June 30, 2027
Address: Flat No. 1405, J Block, Rainbow Vistas,
Green Hills Road, Moosapet, Hyderabad, Telangana-500018

Date: October 03, 2026
Place: Hyderabad

Place: Indore
Date: 03-10-2026

Sd/- Authorised Officer, M/s Shriram Asset Reconstruction Private Limited
(Acting in its' capacity as Trustee of SARCTrust-11)

हेलमेट नहीं पहना 300 का चालान: ये कैसा फर्जीवाड़ा, 17 किमी दूर घर में खड़ी गाड़ी को बताया पत्रकार कॉलोनी चौराहे पर

फोटो MP09 ZK1257 गाड़ी की, चालान MP09 ZK1267 गाड़ी का

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9981382813

यातायात पुलिस की पारदर्शी और तकनीक आधारित कार्रवाई पर एक चालान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। MP09 ZK1267 वाहन का 30 सितंबर को पत्रकार कॉलोनी चौराहे पर हेलमेट नहीं पहनने का 300 रुपए का चालान बनाया गया, लेकिन चालान के साथ भेजी गई तस्वीर में न तो वही वाहन दिखाई दे रहा है और न ही वाहन मालिक। चालान में दर्ज वाहन MP09 ZK1267 है, जबकि तस्वीर में दिखाई दे रहे वाहन का नंबर MP09 ZK1257 नजर आ रहा है। फोटो में सवार व्यक्ति भी कोई और है। वाहन मालिक को इस चालान की जानकारी 2 अक्टूबर को दोपहर में मोबाइल पर आए



30 सितंबर को बनाया चालान, एसएमएस से भेजा 2 अक्टूबर को।

एसएमएस से मिली। चालान के अनुसार... घटना 30 सितंबर को सुबह 11:31 बजे पत्रकार कॉलोनी चौराहे पर हुई। वाहन मालिक का कहना है कि उस समय उसका

वाहन घर पर खड़ा था। उसका निवास उज्जैन रोड टोल प्लाजा के पास मगरखेड़ा गांव की कॉलोनी पद्मावती प्लेटिनम में है, जो पत्रकार कॉलोनी चौराहे से करीब 17

गलती पुलिस की, परेशानी वाहन मालिक की

चालान बनाने में गलती यातायात पुलिस की प्रक्रिया में हुई, लेकिन उसे ठीक कराने के लिए अब वाहन मालिक को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ... ऐसे मामलों में 15 दिन की शिकायत अवधि होती है। पीड़ित वाहन मालिक को एमटीएच यातायात थाने के

यातायात प्रबंधन केंद्र पहुंचकर अपनी परेशानी बतानी होगी। जांच के बाद ही गलत चालान निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में पुलिस का पक्ष जानने के लिए ट्रैफिक डीसीपी राजेश त्रिपाठी से संपर्क किया तो उन्होंने आधे घंटे में ही कार्रवाई करते हुए गलत चालान रद्द करवा दिया।

किलोमीटर दूर है, यानि जिस समय यातायात पुलिस ने कागजों में वाहन को पत्रकार कॉलोनी में बिना हेलमेट चलते हुए दर्ज किया, उस समय तो गाड़ी उसके घर पर ही खड़ी थी।

चालान में तस्वीर और नंबर दोनों अलग- अलग- ट्रैफिक

पुलिस द्वारा चालान में चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनना बताया गया है और 300 रुपए जुर्माना लगाया है। हालांकि चालान के साथ लगी तस्वीर में दिखाई दे रहे वाहन के नंबर में अंतिम अंक 1257 दिखाई भी दे रहा है। फोटो में दिख रहा वाहन भी दूसरा है।

इंदौर के युवक के 4 खातों से करोड़ों की ठगी का खुलासा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9926064287

देश के अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले युवक को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। आरोपी के चार बैंक खातों का इस्तेमाल कर अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी करने की जानकारी सामने आई है। जांच में इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, गोआ, ओडीशा, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में खातों से जुड़े केस की दर्जनों शिकायतें दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत यह कार्रवाई की। पुलिस ने सिटी यूनियन बैंक की न्यू पलासिया शाखा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक से जुड़े खातों की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि राजेंद्र नगर निवासी अंकित देशमुख के इन खातों का इस्तेमाल मूल अकाउंट



के रूप में किया जा रहा था। इन खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेनदेन पाया गया है। आरोपी अंकित बीएससी स्नातक है और छोटे स्तर पर केटरिंग का काम करता है। आरोप है कि उसने अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराधियों के लिए किया। इसके माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में आर्थिक धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के खातों में ठगी की रकम किन लोगों ने जमा कराई और आगे किन खातों में ट्रांसफर की गई। खातों का संचालन करने वाले अन्य संदिग्धों के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

फोन पर कहासुनी के बाद बदमाशों का हमला

इंदौर। फोनिस टाउनशिप में फोन पर हुई कहासुनी के बाद बदमाशों ने युवक-युवती पर हमला कर दिया। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ बाइक से पहुंचकर दोनों के साथ मारपीट भी की। जान बचाने युवक-युवती पहली मंजिल पर पहुंचे तो हमलावरों ने वहां भी पीछा किया। मारपीट और धक्का-मुक्की के दौरान दोनों गिर गए। घटना में युवती को गंभीर चोट आई है। पीड़ित दीपक पिता सुनील राठौर ने बताया कि घटना के दौरान मेरी दोस्त दीपिका के मोबाइल पर आकाश उर्फ मॉडल का फोन आया था। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फोन पर ही कहासुनी के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई। नाराज होकर आरोप ने अपने साथियों के साथ मेरे और दीपिका के घर पहुंचकर विवाद किया। कुछ ही देर में आकाश निवासी निरंजनपुर मंडी के पीछे और लक्की उर्फ गण्पी निवासी लसुंडिया मोरी अपने अन्य साथियों के साथ घर आए। घर के बाहर पहुंचते ही आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

15 लाख रुपए कीमत के पटाखों के 69 कार्टून जब्त घर में अवैध रूप से जमा कर रखे थे, मकान मालिक फंसा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9926064287

शहर में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर आजाद नगर पुलिस ने पालदा नाका क्षेत्र स्थित मकान से 69 कार्टून जब्त किए। पटाखों की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने मकान मालिक कृष्णा उर्फ कृष्ण गोपाल खंडेलवाल (54), निवासी पालदा नाका के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार... थाना आजाद नगर की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पालदा नाका स्थित कृष्णा उर्फ कृष्ण खंडेलवाल के मकान में बड़ी मात्रा में पटाखे जमा कर रखे गए हैं। सूचना की आशंका जताई गई थी कि रिहायशी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री रखे होने से कोई गंभीर हादसा हो सकता है। जब्त पटाखों को निजी वाहन में



लादकर थाने लाया गया। बाद में सुरक्षित रखने के लिए एसीएम (एसडीएम/संबंधित अधिकारी) को सुपुर्द किया गया। मामले में पुलिस ने धारा 223(ए) बीएनएस तथा धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक... आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की समझाइश दी गई है।

सब्जी व्यापारी से वसूली को लेकर विवाद, चाकू के वार से पत्नी घायल द्वारकापुरी क्षेत्र की घटना, भीड़ ने एक आरोपी को दबोचा, दो फरार

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9926064287

सब्जी व्यापारी से रुपए वसूलने पहुंचे तीन बदमाशों ने विरोध करने पर व्यापारी और उसके परिवार के साथ विवाद किया। घटना बिस्फी रोड की है। द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार... यहां मौजू साहू सब्जी की दुकान लगाते हैं। घटना के समय उनके पिता गयाप्रसाद और पत्नी पुजा भी दुकान पर थी। इसी दौरान अरुण, अकश भाई अंकुर और उनका एक अन्य साथी निश्चल

वहां पहुंचे। आरोप है कि अरुण ने मौनू से जबरन रुपए की मांग की। व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया। बात बढ़ने पर बदमाशों ने चाकू निकाल लिया। मौनू की कॉलर पकड़कर धमकाने लगे। पति के साथ बदमाशों को विवाद करते देख पूजा बीचबचाव करने पहुंची। इसी दौरान आरोपियों में से एक ने उस पर चाकू से वार कर दिया। चाकू महिला की पीठ में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

अचानक हुए हमले से दुकान पर मौजूद परिवार के लोग घबरा गए। मौनू और उनके पिता गयाप्रसाद ने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी। चीख-पुकार सुनकर क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ ने घेराबंदी कर आरोपी अरुण को पकड़ लिया। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी की और बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना में शामिल उसका भाई अंकुर और साथी निश्चल मौके से भागने में सफल रहे।

ठेकेदार के घर घुसे क्राइम ब्रांच के फर्जी अफसर, 4 हजार रुपए ऐंटे

झूठे केस में फंसाने की धमकी; हुलिये के आधार पर दो आरोपियों की पहचान

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9981382813

आजाद नगर इलाके में खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर चार बदमाश ठेकेदार के घर में घुस गए। आरोपियों ने ठेकेदार से मारपीट की और उसे थाने ले जाने की धमकी दी। इसके बाद झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर उससे 4 हजार रुपए ले लिए। हुसैनी मस्जिद वाली गली में रहने वाले इमरान पिता अनवर खान ने बताया कि वह ठेकेदारी का काम करते हैं। 28-29 सितंबर की दरमियानी रात करीब 3 बजे कुछ लोगों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपियों ने लात मारकर खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही चारों आरोपी जबरन उनके घर में घुस गए। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का



कर्मचारी बताते हुए इमरान को अपने साथ थाने चलने के लिए कहा। इमरान ने जब उनके साथ जाने से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि वे पुलिस की वर्दी में नहीं हैं और पहचान-पत्र दिखाएं। आईडी मांगने पर आरोपी नाराज हो गए। उन्होंने इमरान को कमरे से बाहर धक्का दिया और यह कहते हुए डराया कि उन्हें 'बड़े साहब' के पास ले जाना जाएगा। घर से बाहर आने के बाद आरोपियों ने इमरान से पैसे की मांग की। उन्होंने खर्चे के नाम पर रुपए मांगे और पैसे नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। डर के

चलते इमरान ने रुपए दे दिए। रुपए मिलने के बाद चारों आरोपी बाहर खड़ी कार से फरार हो गए। घटना के बाद इमरान ने परिवार और परिचितों को पूरी जानकारी दी। परिजनों की सलाह पर वह थाने पहुंचे और आरोपियों का हुलिया बताया। हुलिय में फरियादी ने दो आरोपियों को पहचान लिया है। इसके बाद आरोपियों की तलाश में टीम रवाना की गई है।

हीरागंज में भी पुलिसकर्मी बनकर ठगी- इसी तरह की एक अन्य घटना हीरागंज क्षेत्र में सामने आई है। यहां दो बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर यमनारायण को रोक लिया। आरोपियों ने उसे आगे किसी वारदात की आशंका बताकर सावधान रहने की बात कही और उसकी अंगुठी उतरवा ली। पीड़ित को शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिव सिटी कॉलोनी में पुलिस ने ली मोहल्ला समिति की बैठक 50 रहवासी हुए शामिल, एसीपी गांधी नगर और राजेंद्र नगर थाना प्रभारी ने किया संवाद

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मौ.नं. 9926064287

पुलिस तथा नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राजेंद्र नगर पुलिस ने शिव सिटी कॉलोनी में मोहल्ला समिति की बैठक आयोजित की। शुक्रवार को हुई इस बैठक में एसीपी गांधी नगर अनुभाग निधि सक्सेना और टीआई मौजूद रहे।

बैठक में कॉलोनी के 40 से 50 रहवासियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने रहवासियों से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोहल्ले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है। रहवासी अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या विवाद की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अधिकारियों ने मोहल्ला समिति की भूमिका को महत्वपूर्ण



मोहल्ला समिति की बैठक में पुलिस ने नागरिकों से संवाद किया।

बताते हुए पुलिस-नागरिकों के बीच नियमित संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में रहवासियों से उनके सुझाव भी लिए गए, ताकि समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। पुलिस ने नागरिकों से आपसी सहयोग, जागरूकता और

जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा में भागीदारी निभाने की अपील की। बैठक में मौजूद रहवासियों ने भी पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने की बात कही। पुलिस की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है।

फॉर्म G	
इंदौर में फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में काम करने वाली ऑर्गेनिक वर्ल्ड फ्रैचिज लिमिटेड (CIRP के तहत) के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट* (राष्ट्र की अभिव्यक्ति) का आमंत्रण।	
इन्सॉल्वेंसी एंड बेकरसी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया) रेगुलेशन, 2016 के रेगुलेशन 36ए (1) के तहत।	
क्र.सं.	संबंधित विवरण
1	कॉर्पोरेट देवलपर का नाम और PAN/ CIN/ LLP नंबर
2	रजिस्टर्ड ऑफिस का पता
3	वेबसाइट का URL
4	उस जगह की जानकारी जहाँ ग्वादातर फिक्स्ड पैरेल (स्थायी संयोजित) मौजूद है
5	मुख्य प्रोडक्ट्स/सेवाओं की इंस्टॉल केपीएसटी
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मूल्य
7	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या
8	और जानकारी, जिसमें पिछले दो सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (नेटवर्क के साथ) और क्रैडिटर्स की लिस्ट शामिल है, इस URL पर उपलब्ध है:
9	कोड की धारा 252(2)(i) के तहत रिजॉल्यूशन पॉलिकेंडर की योग्यता और पर उपलब्ध है:
10	एफएमएआर ऑफ स्टैंडिंग (EOR) फिल्टर को आधारी तारीख
11	संबंधित रिजॉल्यूशन पॉलिकेंडर को प्रोविजनल लिस्ट जारी होने की तारीख
12	प्रोविजनल लिस्ट पर आधारीतनी जमा करने की आधारी तारीख
13	संबंधित रिजॉल्यूशन पॉलिकेंडर को फवकल लिस्ट जारी होने की तारीख
14	संबंधित रिजॉल्यूशन पॉलिकेंडर के लिए इन्फॉर्मेशन कोडिंग, प्रेजेंटेशन फिल्टर और रिजॉल्यूशन प्लान के लिए विवरण जारी होने की तारीख
15	रिजॉल्यूशन प्लान जमा करने की आधारी तारीख
16	EOI जमा करने के लिए प्रोसेस लिंक ID
17	MSME के तौर पर कॉर्पोरेट देवलपर के कॉर्पोरेट देवलपर को जानकारी
ऑर्गेनिक वर्ल्ड फ्रैचिज लिमिटेड के लिए प्रस्तावित जहाँ ऑर्गेनिक वर्ल्ड फ्रैचिज लिमिटेड के अंतिम रिजॉल्यूशन प्रोसेसिंग IBSI रिजॉल्यूशन नंबर: IBSI/IPA-002IP-N01149/2021-2022/3006	
दिनांक: 03 अक्टूबर 2026	
स्थान: हैदराबाद	

JANA SMALL FINANCE BANK	रजिस्टर्ड ऑफिस: दफ्तरेवर, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/28, डेम्पलूर के पास, कोरमल्ला इगर रिंग रोड, EGL बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071
(A Scheduled Commercial Bank)	शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर 306-ए, पीयू 4, स्कमी नंबर 54, केंडी इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010

सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी एक्ट) 2002 के तहत ई-ऑक्शन के जरिए बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, जिसे सिक्वोरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के प्रोविजो रूल 8(6) और 9 के साथ पढ़ा जाए।										
नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के तौर पर, सरफेसी एक्ट की धारा 13 (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाए की वसूली के लिए नीचे बताए गए अकाउंट में गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) 'जैसा है जहाँ है' और 'जैसा है वैसा है' के आधार पर नीचे बताई गई तारीख को होगी।										
सं. क्र.	अरुण खाता नं.	मूल उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की तारीख	कब्जा दिनांक	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय	आरक्षित मूल्य INR में	बयाना राशि जमा (EMD) INR में	ई-नीलामी की तारीख और समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान
1	45579420001501	1) श्री कमल बैरामी पुत्र सीधाराम बैरामी, 2) श्रीमती सुनन बाई पत्नी सीताराम।	19.05.2025	10.03.2026	रु 6,24,599.77 (छह लाख चौबीस हजार पाँच सौ नित्यावबे रुपये और सहस्रर पैसे मात्र) 07.09.2026 तक	17.10.2026 9.00 AM to 5.30 PM	रु 12,04,875 / (बारह लाख चार सौ सत्तासी रुपये पचहत्तर रुपये मात्र)	रु 1,20,487.5 (एक लाख बीस हजार चार सौ सत्तासी रुपये और पचास पैसे मात्र)	19.10.2026, 11.00 AM to 2.00.PM	17.10.2026 को शाम 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 306-A, PU 4, स्कमी नंबर 54, केंद्री इन होटल के पास, मेन A.B. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010.
संपत्ति का विवरण/अनुसूची: आवासीय घर/प्लॉट नंबर 83 वाली जमीन का वह टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है और जिस पर निर्माण भी है; यह सर्वे नंबर 749/6-1/12 (S), पीपलर नंबर 30 का हिस्सा है और बाई नंबर 14, ग्राम - तराना कस्बा, तहसील तराना और जिला उज्जैन (म.प्र.) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व में - बाबू भाई की जमीन, पश्चिम में - सर्वे नंबर 749 का बचा हुआ हिस्सा, उत्तर में - विष्णोई रोड और दक्षिण में - नथूलाल पम्परा की जमीन।										

प्रॉपर्टीज 'जैसी है जहाँ है' और 'जैसी है वैसी है' के आधार पर बेची जा रही हैं और ई-ऑक्शन 'ऑनलाइन' किया जाएगा। ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी को खरीद से संबंधित सभी पैमेंट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पर किए जाएंगे। नीलामी बैंक के अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर M/S. 4 Closure द्वारा वेब पोर्टल <https://bankauctions.in> & www.foreclosureindia.com पर की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-ऑक्शन पर डिटेल्स, मदद, प्रक्रिया और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, इच्छुक बोली लगाने वाले M/S. 4 Closure से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क करें श्री विट्ठल राठोड़, संपर्क नंबर: 8142000725। ईमेल आईडी: info@bankauctions.in। Mumbai@bankauctions.in ई-ऑक्शन की कार्यवाही में भाग लेने के नियमों और शर्तों और प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी सवाल के लिए, कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों श्री मोहम्मद जिशान खान (मौ. नं. 9071177212), श्री संजय सैनी (मौ. नं. 9981544885), श्री रंजन नाइक (मौ. नंबर 6362951653) और श्री श्रीकृष्ण बेग (मौ. नंबर 7019949040) से संपर्क करें। अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार, प्रॉपर्टीज पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले प्रॉपर्टी के भार और टाइटल के बारे में अपनी स्वयं जांच करनी चाहिए। कोई भी शत बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। यह ऊपर बताए गए अर्जदारों/गारंटर्स/गिरवी रखने वालों को हारवी रखी गई प्रॉपर्टी के लिए निर्धारित ई-ऑक्शन के बारे में एक नोटिस भी है। कर्जदार/गारंटर/गिरवी रखने वालों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले ऊपर बताई गई राशि के साथ-साथ आज तक का ब्याज और अन्य खर्चों का भुगतान करें, ऐसा करने पर प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

तारीख: 02.10.2026, स्थान: इन्दौर

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

